न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. अपील 09/2016

1— गेहरीलाल पिता मोडा जी तेली आयु 60 साल निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2— श्री पन्नालाल पिता मोडा जी तेली आयु 58 साल निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3— नानालाल पिता मोडा जी तेली आयु 45 साल निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4— चाान्दमल पिता हिरालाल जी तेली आयु 40 साल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5— मु0 सोहनी बाई बेवा हिरालाल जी तेली आयु 65 साल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6— मु0 भगवती बाई पुत्री हिरालाल जी पत्नी कालू जी तेली आयु 35 साल निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

.....अपीलान्ट्स

//बनाम//

1— नन्दलाल पिता सुखा जी जाति तेली आयु 55 साल निवासी नन्नाणा तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0
2— भैरूलाल पिता सुखा जी जाति तेली आयु 50 साल निवासी नन्नाणा तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0
3— कंवरलाल पिता सुखा जी जाति तेली आयु 47 साल निवासी नन्नाणा तह0 भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0
4— मु0 चन्द्री पुत्री सुखा जी पत्नी गोतम जी जाति तेली आयु 45 साल निवासी फलवा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5— कारीबाई पुत्री सुखा जी पत्नी देवीलाल जी जाति तेली आयु 40 साल निवासी मानपुरा तह0 व जिला चित्तौडगढ राज0
6— मु0 शांतिबाई पुत्री सुखा जी पत्नी सत्यानाराण जी जाति तेली आयु 36 साल निवासी सावा तह0 व जिला चित्तौडगढ राज0
7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण स0 556 न्यायालय तहसीलदार, भदेसर निर्णय दिनांक 31.05.1986 बाबत

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by TapScanner

अधिवक्ता अपीलान्टस सुरेन्द्र कुमार ओझा/अनुराग ओझा एडवोकेट
अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस नरेन्द्र कुमार वैष्णव

निर्णय दिनांकः—19.10.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलान्टस ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश कि तथा उक्त अपील में यह कथन किया के अपीलान्टस ओर रेस्पोडेन्टसएक ही मूल पुरूष नारायण जी तेली के वारिसान है नारायण जी तेली के दो पुत्र मोडा व सुखा हुए नारायण जी की पत्नी का नाम खुमाणी बाई था वाके मोजा नन्नाणा के आराजी न0 378 रक्बा 2 बिघा 1 बिस्वा, आराजी न0 379 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बिघा 1 बिस्वा कुल लगानी 27 रूपये 6 पैसे उक्त कृषि भूमि आता चाह न0 386 से सिंचित होती है यह भूमि खुमाणी बेवा नाराण जी तेली के नाम दर्ज है।खुमाणी बाई अपीलान्टस स0 1 से 3 की व रेस्पोडेन्टस 1 से 6 की दादी मा ओर अपीलान्टस स0 4 व 6 की पडदादी तथा अपीलान्टस स0 5 की दादी सास है। खुमाणी बाई की मृत्यु होने बाद नामान्तरण स0 556 दिनांक 31.05.1986 को अकेले रेस्पोडेन्टस स0 1 से 6 के पिता सुखा पिता नारायण जी के नाम पर खोल दिया गया ओर तस्दीक कर दिया गया जिसकी कोई जानकारी अपीलान्टस को नही हुई की नामांतरण स0 556 जो खुमाणी बाई के नाम का था उनकी मृत्यु होने के बाद केवल सुखा जी के नाम पर खुला उसमें मोडा जी का नाम अंकित नही किया गया है। अभी हाल ही में सुखा जी की मृत्यु दिनांक 07.06.2016 को हुई तब रेस्पोडेन्टस ने विवादीत भूमि का नामांतरकरण स्वयं के नाम पर खुलवाया, तब पटवारी से जानकारी करने पर अपीलान्टस को इस बात की जानकारी हुई कि बगैर अपीलान्टसको सूचना दिये गलत रूप से खुमाणी की विरासत अकेले सुखा के नाम पर खुलवाली जबकी खुमाणी बाई के दो पुत्र सुखा व मोडा थे मात्र सुखा के नाम पर उक्त विरासत तस्दीक कर रेस्पोडेन्टस स0 7 नें त्रुटी की है। नामांतरकरण रूल्स 121, क्लोज 1, सबक्लोज 4 के प्रावधानों की पालना नही कि और तथ्यों को छुपा कर जालसाजी कर, धोखा धडी से सुखा जी ने अपने भाई मोडा का नाम छुपा कर अकेले के नाम अपनी माता खुमाणी की विरासत खुलवाली।इस प्रकार अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर खुमाणी की विरासत में अपीलान्टस का नाम भी मोडा के वारिस होने से जोडा जावें।साथ ही अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र भी अपीलान्टस ने प्रस्तुत किया जिसमें भी यह कथन किया की निर्णय दिनांक 31.05.1986 के निर्णय की कोई जानकारी अपीलान्टस को या अपीलान्टस के पिता मोडा को नही दी गई थी। प्रथम बार जानकारी दिनांक 07.06.2016 को सुखा जी की मृत्यु के बाद पटवार हल्का से जानकारी करने से हुई एवं नकले प्राप्त करते ही अपील पेश कि जा रही है जो सदभावना पूर्वक है इसलिए देरी को माफ कर अपील अन्दर अवधि शुमार करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला—चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र वैष्णव उपस्थित हुए जिन्होने धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया एवं अपीलान्टस के तथ्यों से इंकार किया।साथ ही कहा कि अपीलान्टस को नामांतरकरण स0 556 की जानकारी शुरू से ही थी। मोडा जी ने अपने जीवन काल में इस आराजी के सम्बंध में कोई वाद विवाद नही किया। वह शुरू से लसडावन रहते थे। उक्त आराजी पारिवारिक सेटलमेंटस से सुखलाल जी के हिस्से में रही थी। साथ ही अपीलान्टस व सुखलाल जी के मध्य दिनांक 20.08.2015 को समझोता पत्र होना दर्शाया ग्राम नन्नाणा की दिगर आराजीयात को रेस्पोडेन्टस की मानी एवं आराजी न0 473 व 475 में अपीलान्टस का नाम दर्ज हो जाने से समझोते अनुसार अपीलान्टस द्वारा उक्त आराजीयात का हिस्सा सुखा जी के नाम दिनांक 21.08.2015 को बिना प्रतिफल के विक्रय पत्र से करवा दिया।अपीलान्टस का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा व कब्जा नही माना था व विक्रय की गई आराजीयात के बदले ग्राम लसडावन में सुखा जी का दर्ज हिस्सा अपीलान्टस को दे दिया था।इस प्रकार विवादीत नामांतरण की जानकारी सुखा की मृत्यु के बाद होने का तथ्य झुठा लिखा है कब्जा रेस्पोडेन्टस का है इसके साथ ही एक आवेन पत्र धारा 10 जा0दी0 का भी रेस्पोडेन्टस की और प्रस्तुत हुआ जिसमें उक्त प्रकरण से सम्बंधित वाद चलने का तथ्य अंकित कया एवं अपील की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करने निवादन किया।

उक्त धारा 10 जा0दी0 के आवेदन का जवाब अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत किया एवं आवेदन के तथ्यों से प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होना जाहिर की एवं कहा की उक्त वाद जिसका हवाला रेस्पोडेन्टस द्वारा दिया जा रहा है घोंषणात्मक अनुतोषका वाद है तथा अपील नामांतरकरण के विरूद्ध है। अपील प्रस्तुत होने के 6 माह बाद वाद प्रस्तुत हुआ है जबकी धारा 10 के प्रावधान पश्चावर्ति वाद पर लागू होते है। इसके अतिरिक्त अपील में धारा 10 के प्रावधान लागू नही होते है मात्र वाद पत्र में ही लागू होते है।

हमने पत्रावली का गहन अवलोकन किया एवं बहस अपील सुनी गई जिससे उक्त धारा 10 जा0दी0 के आवेदन पत्र को शिविर राजस्व लोक अदालत नन्नाणा में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा बगैर अपीलान्टस को सुने निस्तारित कर दिया गया था एवं अपील की कार्यवाही वाद के निर्णय तक स्थगित किया जा चुका थाजिस पर अपीलान्टस ने वाद पत्र में पेशी दिनांक लम्बी होने पर शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया साथ ही धारा 10 जा0दी0 के आवेदन पत्र पर पुनः सुनवाई हेतु निवेदन किया,शीघ्र सुनवाई के आवेदन पत्र पर पत्रावली दिनांक 01.10.2020 को न्यायालय में प्रस्तुत हुई जिस पर रेस्पोडैन्टस जो प्रकरण स0 33/17 वाद में वादी है, अनुपस्थित रहे जिस पर वाद वादी निस्तारित कर दिया गया एवं धारा 10 जा0दी के आवेदन पत्र पर अपीलान्टस के अधिवक्ता को सुना गया धारा 10 जा0दी के तथ्यों व तर्को से हम अपीलान्टस से सहमत हुए एवं वाद तथा अपील दोनों का अवलोकन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

(ख) उस अधिकार या हक का ज्ञान, जिस पर वाद या आवेदनआधारित है, किसी यथापूर्वो क्त व्यक्ति के कपट द्वारा छिपाया गया है;अथवा
(ग) वह वाद या आवेदन किसी भूल के परिणाम से मुक्ति के लिए है;अथवा
(घ) वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिएआवश्यक कोई दस्तावेज उससे कपटपूर्वक छिपाई गई है,
वहां परिसीमा काल का चलना तब तक के बिना आरम्भ न होगा जबवादी या आवेदक को उ स कपट या भूल का पता चल न जाए यासम्यक् तत्परता से पता चल सकता था, अथवा छि पाई गई दस्तावेजकी दशा में तब तक के बिना आरम्भ न होगा, जबकि छिपाई गईदस्तावेज के पेश करने या उसका पेश किया जाना विवश करने केसाधन वादी या आवेदक को सर्वप्रथ म प्राप्त न हुए हों:
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तथ्यों को छुपा कर कपट पूर्वक नामांतरकरण स0 556 फेसल कराया है इसलिए तकनिकी रूप से अपीलान्टस को परीसीमा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत जो अपील प्रस्तुत की है उक्त अपील मियाद अधिनियम की धारा 17 व 5 की परिसीमा में है, क्योंकि सुखलाल की मृत्यु दिनांक 07.06.2016 को हो गयी थी। और धारा 17 मियाद अधिनियम के अनुसार 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील दिनांक 27.06.2016 को पेश की है।

अतः प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर का नामान्तरकरण संख्या 556 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार भदेसर को आदेश दिये जाते हैं कि खुमाणी की विरासत में मोडा भी खुमाणी का पुत्र होने से एवं अपीलान्टस मोडा के वारिस होने से अपीलाण्ट्स का नाम राजस्व रेकार्ड में जोड़ा जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर राज0

भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:05:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner